न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 36/23 तारीख रज्जू– 02/11/21

1. छीतर उर्फ छीतरमल पुत्र श्रीया आयु 45 साल जाति गुर्जर निवासी उमरी तहसील गंगापुर सिटी । –अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी । –रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 30/07/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 112/2021 में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम उमरी के आराजी ख0नं0 321 रकबा 0.010 है0 किस्म गै0मु0रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित करते समय अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया था। ग्राम उमरी की आराजी खं0न0 321 रकबा 0.01 है0 गै0मु0रास्ता वाके ग्राम उमरी पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है, ना ही उक्त खं0नं0 से अपीलार्थी का कोई सम्बन्ध वास्ता नही है। वर्तमान में भी उक्त रास्ता आवागमन के लिये काम में लिया जा रहा है। पटवारी हल्का ने गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की है ,साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला–गंगापुर सिटी (राज0) सत्यमेव जयते

Saini 30/7/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेशकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया तथा अपीलार्थी स्वयं उपस्थित होकर अपीलार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 1004 दिनांक 09.07.2024 द्वारा संलग्न पटवारी हल्का से प्राप्त नवीनतम मौका रिपोर्ट दिनांक 08/07/2024 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद आराजीयात पर कोई अतिक्रमण नहीं है ,लेकिन अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसलिए अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी एक शपथ पत्र इस आशय का "अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिक्रमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार होगा " इस निर्णय से 15 दिवस के अन्दर न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी में एवं प्रति इस न्यायालय मे पेश कर देता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त माना जावे अन्यथा सिविल कारावास की सजा यथावत मानी जावे । शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30/7/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)